

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-C.M.(04 घो0)/2011
देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला चम्पावत के अन्तर्गत "अनुसूची एक" में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत लोहाघाट क्षेत्र को नगरपालिका परिषद्, लोहाघाट नगरीय क्षेत्र के रूप में गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1618/IV(3)/2021-C.M.(04 घो0)2011 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन नीचे "अनुसूची एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र जो उक्त नगरपालिका परिषद्, लोहाघाट जिला चम्पावत का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

"अनुसूची-एक"

नगर पंचायत लोहाघाट का समस्त क्षेत्र

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- (1)/IV(3)/ 2021-C.M.(04 घो0)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, चम्पावत एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।